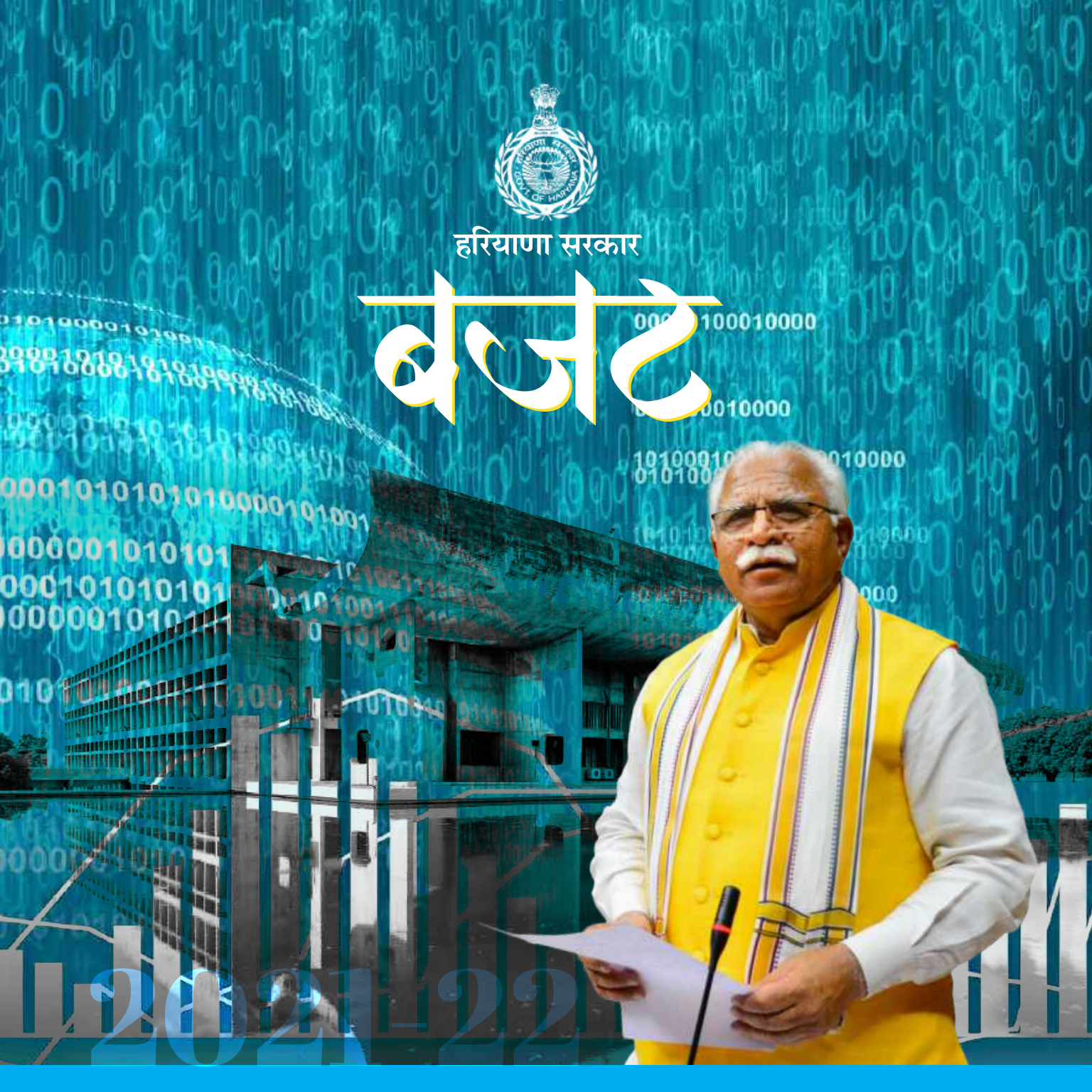

हरियाणा सरकार
बजट
2021-22

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	बजट की मुख्य विशेषताएं	4
2	बजट सारांश	5–13
3	जन–भागीदारी	14–15
4	समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान	16–19
5	कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास	20–27
6	पशुपालन एवं डेयरी	28–31
7	द्विवार्षिक जल योजना 2021-23	32–35
8	स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती	36–41
9	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) लागू	42–47
10	प्रौद्योगिकी एवं शासन	48–49
11	राजस्व, संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण	50–53
12	ईज ऑफ लिविंग	54–55
13	लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण	56–59
14	वन एवं पर्यावरण	60–61
15	अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास	62–67
16	सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण	68–69

बजट की मुख्य विशेषताएं

सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए चार स्तंभों के आधार पर रणनीति तैयार की गई है।

(1) प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय करना,
(2) सुरक्षित कोश की मध्यावधि रूपरेखा बनाना,
(3) परिणाम आधारित विकास,
(4) कार्यान्वयन पर ज्यादा ध्यान देना।

प्राथमिकताएं

हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना बेहद जरूरी है।

मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिर्जव फंड

कई परियोजनाओं, विशेषकर जिनमें बुनयादी ढ़ाचे का सृजन शामिल होता है, के लिए तीन से दस वर्ष की अवधि की अनुमति दी जानी अति आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि परिव्यय रूप रेखा का प्रावधान किया गया है। लगभग 8585 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का उपयोग लघु अवधि परिव्यय रूप रेखा आरक्षित निधि के लिए करने का निर्णय लिया है, जो स्वास्थ्य, कृषि और अवसरंचना पर केंद्रित है।

परिणामोन्मुखी वृद्धि

हरियाणा देश का पहला राज्य था, जिसने बजट में आवंटित एक - एक रुपये के लिए आउटपुट - आउटकम फ्रेम वर्क विकसित किया। यहीं नहीं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य भी है, जिसने विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों के तहत प्रगति को बजटीय व्यय के साथ जोड़ा है। हमनें यूएनड़ीपी के सहयोग से एक एसड़ीजी समन्वय केंद्र की स्थापना की है और हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से हम इसे और आगे ले जाने का इरादा रखतें हैं।

क्रियान्वयन पर बल

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था में सुधार करना महत्वपूर्ण है। हमारी रणनीति अंत्योदय-'अंतिम व्यक्ति तक पहले सेवा पहुंचाना और उत्थान करना' के सिद्धांत पर आधारित है।

बजट सारांश

- वर्ष 2021-22 के लिए **155645.45 करोड़** रुपये का प्रस्तावित खर्च, वर्ष 2020-21 के संशोधित खर्च **137738.29 करोड़** रुपये से 13 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 से 2019-20 के दौरान **8.3 प्रतिशत** की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2020-21, संशोधित बजट में राजकोषीय घाटा **2.9 प्रतिशत** और अनुमानित बजट 2021-22 में **3.83 प्रतिशत**।
- ऋण से राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात केंद्रीय वित्त आयोग और FRBM Act के द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।
- वर्ष 2021-22 बजट में **8585 करोड़** रुपये का रिजर्व फंड ।
- वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर **19.1 प्रतिशत** हो गई, परंतु द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा घटकर **30 प्रतिशत** तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा **50.9 प्रतिशत** रह गया ।
- कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल **5.65 प्रतिशत** संकुचन दर्ज किया गया, जबकि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में **7.73 प्रतिशत** का संकुचन हुआ।

कैसे आता है रुपया
(RUPEE COMES FROM)

केंद्र से विचलन
(Devolution from Centre) — 9.75

केंद्रीय करों का हिस्सा (Share of Central Taxes)	4.79
केन्द्र से प्राप्त सीएसएस हिस्सा और अन्य अनुदान (Central Share under CSS and other Grants)	4.96

राज्य का अपना कर राजस्व
(State Own Tax Revenue) — 40.90

एस.जी.एस.टी. (SGST)	22.07
वैट (VAT)	7.25
स्टेट एक्साइज (State Excise)	6.06
स्टांप और पंजीकरण (Stamps and Registration)	3.29
वाहन कर (Taxes on Vehicles)	1.98
अन्य (Others)	0.25

उधार
(Borrowings) — 38.41

राज्य विकास ऋण (State Development Loan)	26.48
खाद्यान खरीद (Food Procurement)	9.75
NABARD और NCRPB (NABARD and NCRPB)	1.10
अर्थोपाय (Ways and Means)	0.60
भारत सरकार से ऋण (GoI Loan)	0.14
अन्य (Others)	0.34

गैर कर राजस्व
(Non Tax Revenue) — 7.15

परिवहन (Transport)	1.65
शहरी विकास (Urban Development)	1.39
खान एवं भूविज्ञान (Mines and Geology)	1.32
शिक्षा (Education)	0.36
अन्य (Others)	2.43

कैसे आता है रुपया
(RUPEE COMES FROM)

कैसे जाता है रुपया
(RUPEE GOES TO)

आर्थिक सेवायें
(Economic Services) — 25.14

कृषि, सिंचाई व अन्य (Agri. and allied including Irrigation & RE subsidy)	10.33
परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़कें और पुल (Transport, Civil Aviation, Roads & Bridges)	3.32
ग्रामीण विकास और पंचायतें (Rural Development & Panchayats)	3.82
अन्य (Others)	7.67

सामान्य सेवायें
(General Services) — 12.79

प्रशासनिक सेवाएं (Administrative Services)	4.52
पेंशन (Pension)	5.91
अन्य (Others)	2.36

सामाजिक सेवाएं
(Social Services) — 31.27

शिक्षा (Education)	12.14
समाज कल्याण और पोषण (Social Welfare & Nutrition)	6.40
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (Health & Family Welfare)	4.70
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (Public Health Engineering)	2.18
अन्य (Others)	5.85

ऋण भुगतान
(Repayment of Debt) — 30.80

मूलधन (Principal)	18.09
ब्याज (Interest)	12.71

कैसे जाता है रुपया
(RUPEE GOES TO)

मुख्य आवंटन
MAJOR ALLOCATIONS

₹ करोड़ (₹crore)

1.	उद्योग एवं वाणिज्य (Industry and Commerce)	516.30
2.	सहकारिता (Co-Operation)	1274.05
3.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (Technical Education and Skill Development)	1573.02
4.	परिवहन (Transportation)	2699.05
5.	लोक निर्माण, सड़क और पुल (Public work, Roads and Bridges)	2984.63
6.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (Public Health Engineering)	3401.86
7.	सिंचाई एवं जल संसाधन (Irrigation & Water Resources)	5081.09
8.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture & Allied Activites)	5279.49
9.	शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन (Urban Development and Town & Country Planning)	5599.39
10.	गृह (Home)	5897.38
11.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (Panchayat and Rural Development)	5979.94
12.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ई एस आई, खाद्य एवं औषधी (Health, Medical Education & Family Welfare, Ayush, ESI, Food & Drugs)	7336.75
13.	विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा (Power and Non Conventional Energy)	7359.43
14.	पेंशन (Pension)	9199.99
15.	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण और अनुसुचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण (Social Justice and Empowerment, WCD and Welfare of SCs & BCs)	10798.01
16.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (Education, Sports, Arts and Culture)	18118.23

बजट एक नज़र
BUDGET AT A GLANCE

राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़)
Revenue Receipts (₹Crore)

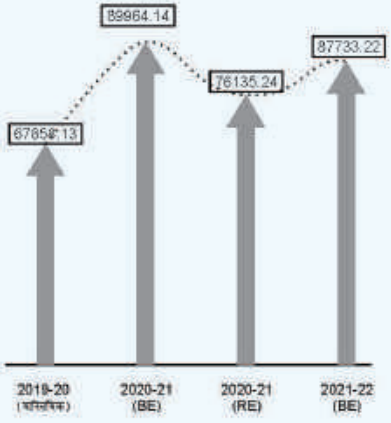

पूंजी प्राप्तियां (₹ करोड़)
Capital Receipts (₹ Crore)

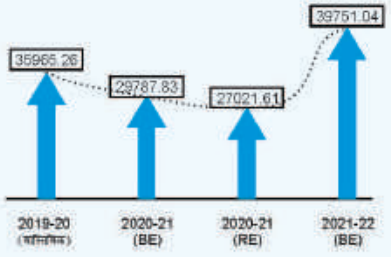

राजस्व व्यय (₹ करोड़)
Revenue Expenditure (₹Crore)

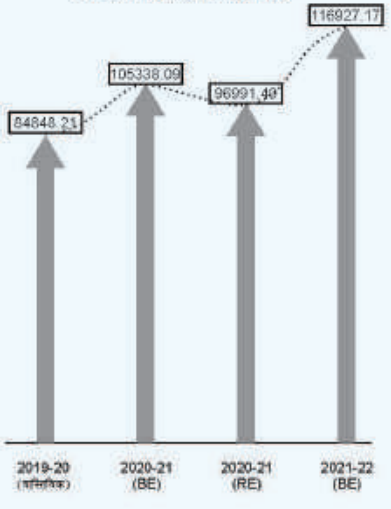

पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)
Capital Expenditure (₹Crore)

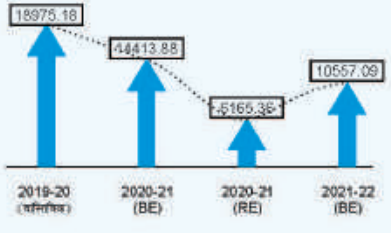

विषयगत आवंटन
THEMATIC ALLOCATION

₹ करोड़ (₹ crore)

समाज के गरीब व कमजोर वर्गों का उत्थान
(Economic upliftment of poor and vulnerable schemes of the society)

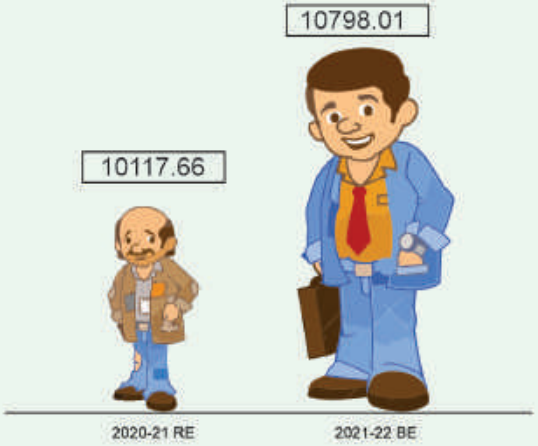

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास
(Agriculture and economic well-being of farmers)

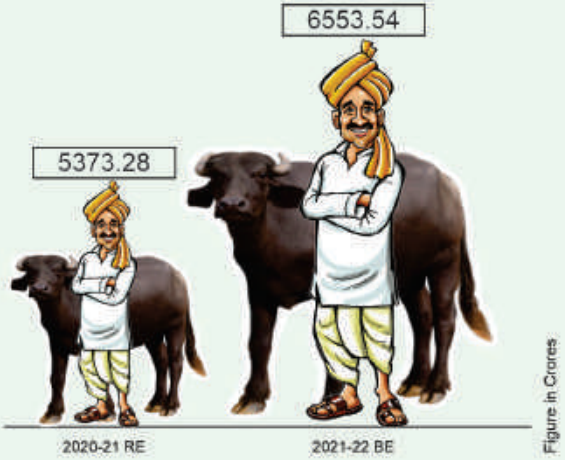

स्वास्थ्य एव तंदुरुसती
(Health and Wellness)

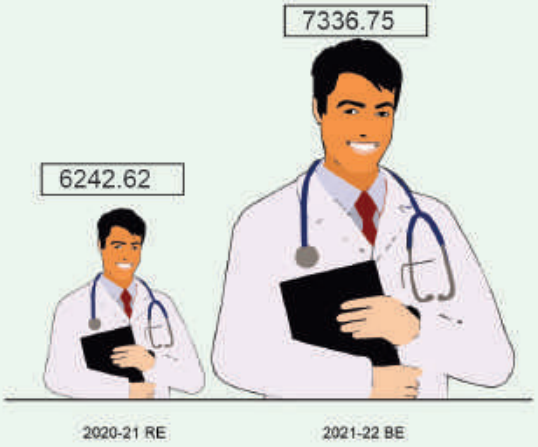

द्विवार्षिक जल योजना 2021-23
(Two Year Water Scheme 2021-23)

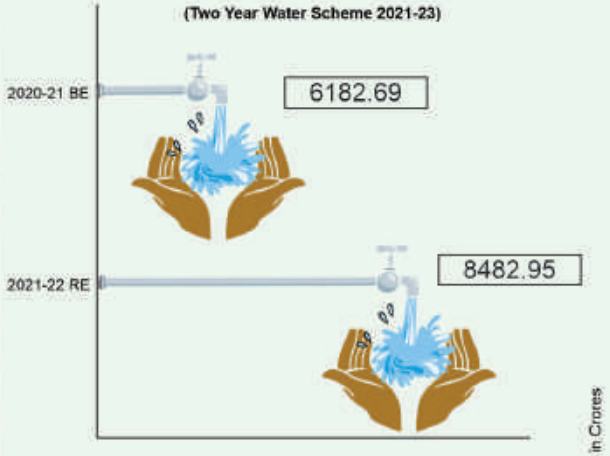

विषयगत आवंटन
THEMATIC ALLOCATION

₹ करोड़ (₹crore)

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास
(Infrastructure and industrial development)

समग्र शिक्षा
(Holistic Education)

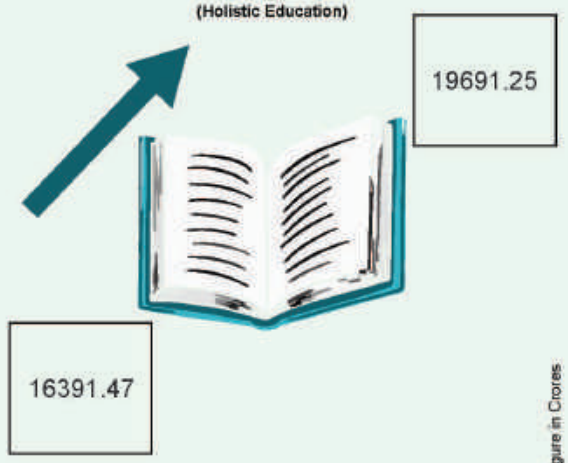

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
(Democratic Decentralization)

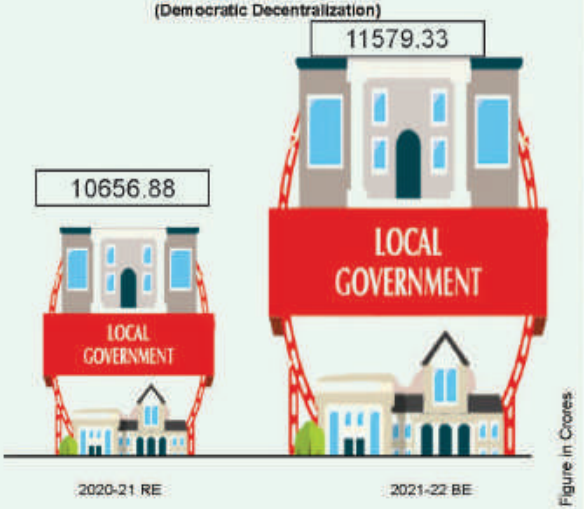

जन-भागीदारी

GOVERNMENT
OF HARYANA

जन-भागीदारी

- वर्ष 2020-21 में राज्य के विधायकों और सांसदों से कुल 527 सुझाव प्राप्त हुए।
- पिछले वर्ष के बजट भाषण में 200 सुझावों को शामिल किया गया।
- 71 सुझाव लागू किए, शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में।
- वर्ष 2021-22 में 31 विधायकों से 367 सुझाव और पांच सांसदों से 37 सुझाव मिले।

समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान

GOVERNMENT
OF HARYANA

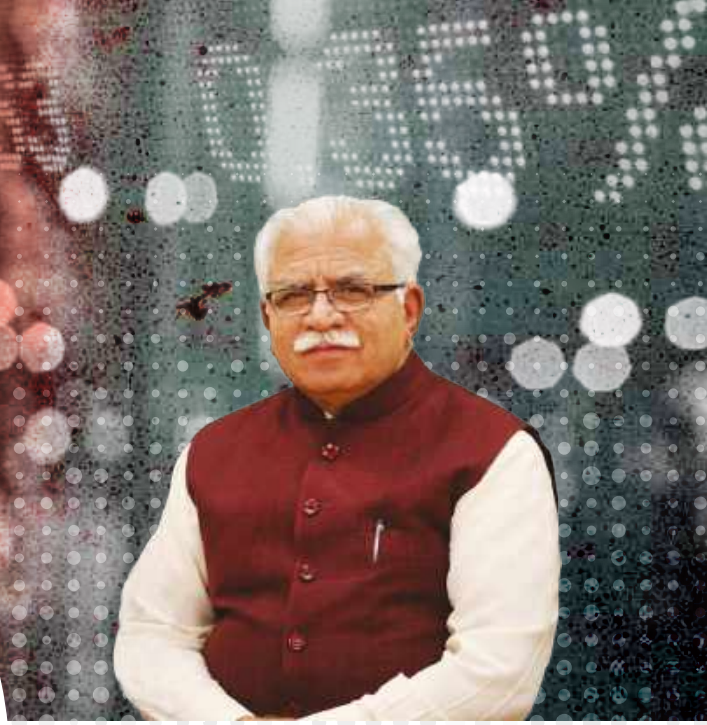

समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान

- राज्य में परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत अति गरीब एक लाख परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख रुपये वार्षिक करवाने के लिए 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान' योजना शुरू।
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पहली अप्रैल से 2500 रुपये मासिक।
- वर्ष 2021-22 में 4000 प्ले-स्कूल खोले जाएंगे।

GOVERNMENT
OF HARYANA

समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान

- कानूनी सहायता योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लोगों को अदालत में संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये की।
- 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अंतर्गत लाभपात्रों को विवाह के दिन ही योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है।

GOVERNMENT
OF HARYANA

समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान

- वर्ष 2021-22 में विभिन्न जिलों में 318 क्रेच शुरू किए जाएंगे।
- 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत 8.76 लाख परिवारों को 270.36 करोड़ रुपये किये वितरित ।

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

GOVERNMENT
OF HARYANA

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- मृदा स्वास्थ्य से लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने हेतु 'हर खेत-स्वस्थ खेत' नामक एक विशेष अभियान अप्रैल 2021 से चलाया जाएगा।
- 'मेरी फ़सल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर उपयुक्त फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

GOVERNMENT
OF HARYANA

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- स्कूलों/कॉलेजों/तकनीकी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों को लाभ होगा और Earn While You Learn योजना से विद्यार्थियों को कमाने का अनूठा अवसर मिलेगा
- एक लाख एकड़ भूमि, सुधार के लिए क्षारीय और लवणीय मृदा के उपचार हेतु एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
- 1,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित किए जाएंगे।

GOVERNMENT
OF HARYANA

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13.27 लाख किसानों को 980.74 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया गया।
- वर्ष 2020-21 में फसल अवशेष प्रबंधन प्रयासों से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में आई 11 प्रतिशत की कमी।
- जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती के तहत अगामी 3 वर्षों में एक लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य।

GOVERNMENT
OF HARYANA

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान धान का क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य। इस योजना में गत वर्ष लगभग 97,000 एकड़ क्षेत्र को अन्य फसलें जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दाल आदि के अधीन लाया गया।
- इस योजना के तहत बैंकों की सांझेदारी में 1000 किसान ए टी एम होंगे स्थापित।
- भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए साइलो का भी उपयोग किया जाएगा।

GOVERNMENT
OF HARYANA

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- किसानों को नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, शेष राशि की जानकारी देने, पिन बदलने, नई पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट, चैक बुक के लिए अनुरोध, आधार नम्बर अपडेशन, ऋण के लिए अनुरोध, मोबाइल नम्बर अपडेशन, और समस्याओं के पंजीकरण इत्यादि के लिए 'किसान मित्र वित्तीय सेवा योजना' नाम से नई योजना शुरू।

- गत वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को 29,950 करोड़ रुपये तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1800 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 7 लाख मीट्रिक टन सरसों, लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने का लक्ष्य।
- हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा 22 जिलों में 2000 रिटेल स्टोर/आउटलेट स्थापित।
- 81 मण्डियां ई-नाम से जुडी हैं, 32 मण्डियों को ई-नाम के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की जानकारी दी जायेगी।

GOVERNMENT
OF HARYANA

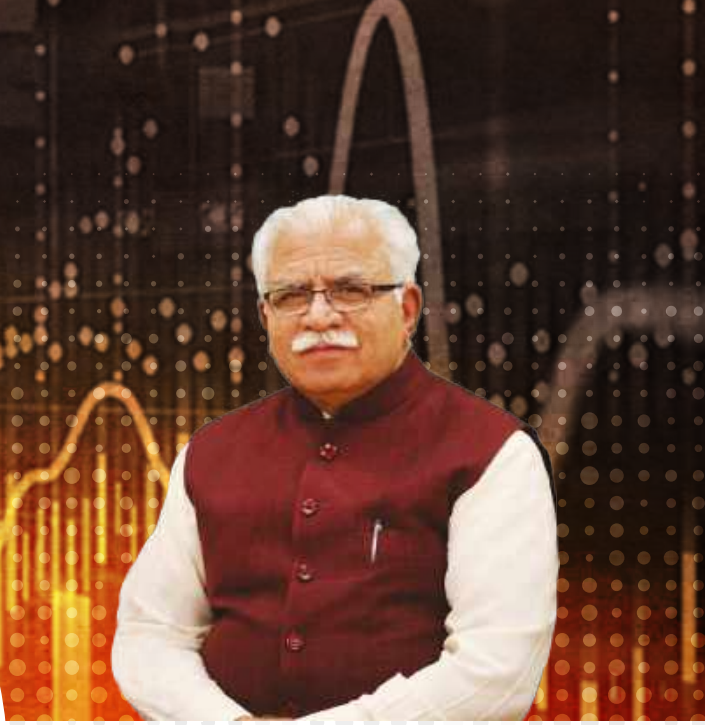

कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

- सभी प्रमुख मण्डियों में फसल सुखाने की मशीन, साइलो, ग्रेडिंग, लोडिंग/अनलोडिंग, वजन व सिलाई, छंटाई, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध।
- हरियाणा भण्डारण निगम के सभी गोदामों में क्लोज सर्किट टी वी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
- बागबानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए भवान्तर भरपायी योजना एवं मुख्यमंत्री बाग़बानी बिमा योजना लागू।

पशुपालन एवं डेयरी

GOVERNMENT
OF HARYANA

पशुपालन एवं डेयरी

- हरियाणा में दुधारू पशुधन संख्या देश की कुल पशुधन का 2.5 प्रतिशत है, परन्तु दुग्ध उत्पादन 5.56 प्रतिशत है।
- पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड और पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना लागू।
- खण्ड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया करवाई जाएंगी।
- भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

पशुपालन एवं डेयरी

- हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियन इन्फ्लूएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आर टी-पी सी आर डायग्नोस्टिक्स की तीन बायो सेफ्टी लेवल-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
- वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के तहत 1090 हेक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताजा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
- प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड चेन स्थापित की जाएंगी।

GOVERNMENT
OF HARYANA

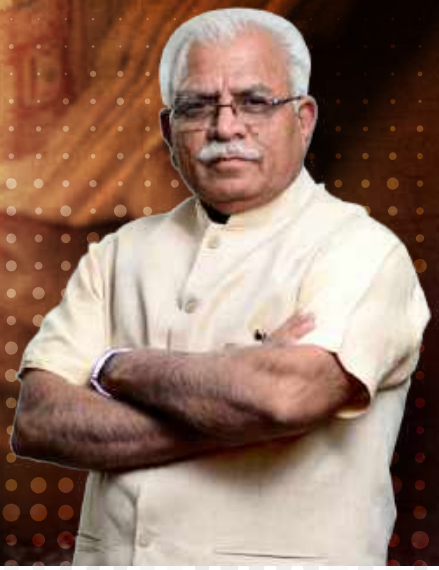

पशुपालन एवं डेयरी

- 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के तहत, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 10 स्माल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएंगी।
- झींगा मत्स्य पालन के लिए भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- दक्षिणी हरियाणा में 3 लाख लीटर प्रतिदिन पैंकिंग क्षमता के साथ एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- जिला भिवानी के गांव शेरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इसमें मिठाइयां भी बनाई जाएंगी।

द्विवार्षिक जल योजना
2021-23

GOVERNMENT
OF HARYANA

द्विवार्षिक जल योजना 2021-23

- एस वाई एल नहर के निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 'मेरा पानी मेरी विरासत' के तहत 1000 रिचार्ज बोरवैल के निर्माण की योजना।
- मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय।
- महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी एवं फतेहाबाद जिलों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर ज़ोर।

GOVERNMENT
OF HARYANA

द्विवार्षिक जल योजना 2021-23

- समानान्तर दिल्ली शाखा, संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा का पुनरोद्धार किया जाएगा।
- पांवटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथनीकुण्ड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाया जाएगा।
- 'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' के तहत वर्ष 2021-22 में 1.65 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य।

GOVERNMENT
OF HARYANA

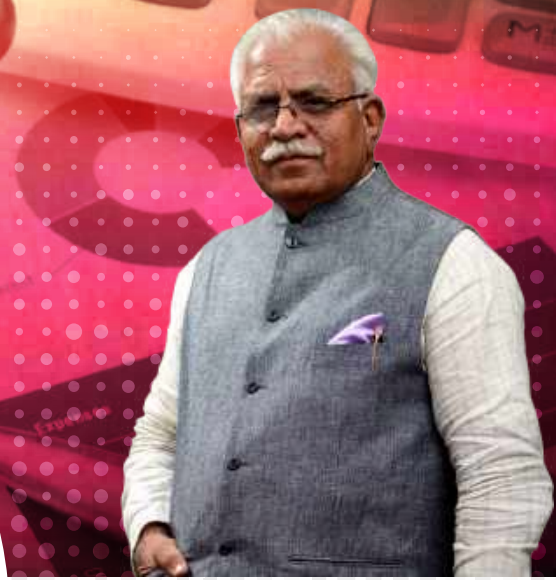

द्विवार्षिक जल योजना 2021-23

- महाग्राम योजना के तहत 130 गांवों का चयन, इन गाँवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली स्थापित की जायेगी।
- राजौंद व सिसाय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार होगा।
- सोहना में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी।
- पलवल, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना और होडल में वर्षा जल की निकासी के कार्य शुरू किए जाएंगे।

स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती

GOVERNMENT
OF HARYANA

स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती

- कोविड से निपटने के लिए इस वर्ष 956 नियमित डॉक्टरों और 206 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती।
- वर्ष 2021-22 में होंगे 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सों के नए पद सृजित।
- सिविल अस्पतालों में 1000 से अधिक बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी एवं सभी जिला अस्पतालों में न्यूनतम 200 बिस्तर किये जायेंगे, इनमें आई सी यू एवं प्राइवेट रूम भी स्थापित किये जायेंगे।

GOVERNMENT OF HARYANA

स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती

आयुष्मान भारत योजना में अनुपातिक लाभ आठ अतिरिक्त श्रेणियों को प्रदान करने का निर्णय, जिनमें (i) व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, (ii) मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत परिवार, (iii) निर्माण श्रमिक बोर्ड, (iv) हरियाणा के मान्यता-प्राप्त मीडियाकर्मी, (v) नम्बरदार, (vi) चौकीदार, (vii) विमुक्त घुमंतू जाति, और (viii) आजाद हिंद फौज में रहे सैनिक, हिंदी आंदोलन से जुड़े परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध और आपातकाल के दौरान जेल गए परिवार शामिल।

GOVERNMENT
OF HARYANA

स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती

- राज्य में स्थापित होंगे 1000 'हेल्थ वेलनेस सेंटर'।
- कर्मचारियों, पेशनरों और उनके आश्रितों को इनडोर उपचार प्रदान करने के लिए 'हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य' योजना का विस्तार का निर्णय।
- यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में होंगे मेडिकल कॉलेज स्थापित एवं भिवानी में डॉ मंगल सेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
- महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में होगा कैंसर विज्ञान केन्द्र स्थापित।

GOVERNMENT
OF HARYANA

स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती

- 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोच की होगी भर्ती।
- करनाल और रोहतक औद्योगिक क्षेत्रों, तरावड़ी (करनाल), कैथल, कुरुक्षेत्र, नूह (मेवात), नारायणगढ़ (अम्बाला) और चरखी दादरी में खुलेंगे नए ई एस आई औषधालय।
- 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2021', की मेजबानी करेगा हरियाणा।
- ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये की अग्रिम तैयारी राशि दी जायेगी।

GOVERNMENT
OF HARYANA

स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती

- ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में बनेंगे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान।
- पंचकूला में राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा ।
- नवीनतम विश्व स्तरीय खेल-चिकित्सा उपकरणों से लैस चार मंडल स्तर के केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में होंगे स्थापित।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) लागू

GOVERNMENT
OF HARYANA

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) लागू

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को 2030 के स्थान पर 2025 तक पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।
- NEP के अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल प्रदान किया जाएगा।
- सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के 8,400 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

GOVERNMENT
OF HARYANA

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) लागू

- सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम आदि पर खर्च होंगे 700 करोड़ रुपये।
- कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा।
- गुणवत्तापरक शिक्षा पर खर्च होंगे 192 करोड़ रुपये।
- छात्राओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड (जी आई एफ) बनाया जाएगा।

GOVERNMENT
OF HARYANA

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू

- मॉडल संस्कृति स्कूल के स्वीकृत रूप में अपग्रेड होंगे आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूल।
- स्कूलों में स्थापित 50 उष्मायन केन्द्रों (दक्ष सेन्टर) में कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा।
- सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 2 केंद्र खुलेंगे हिसार और करनाल में।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में Alumini Portal एवं Alumini Week का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) लागू

- राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान, मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की होगी स्थापना।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू), दुधौला में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू होगा अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी, प्रबंधन अध्ययन एवं कृषि कार्यक्रमों के तहत अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए, नौवीं कक्षा से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए सी बी एस ई से संबद्ध एक 'फीडर स्कूल' शुरू करेगा।

GOVERNMENT OF HARYANA

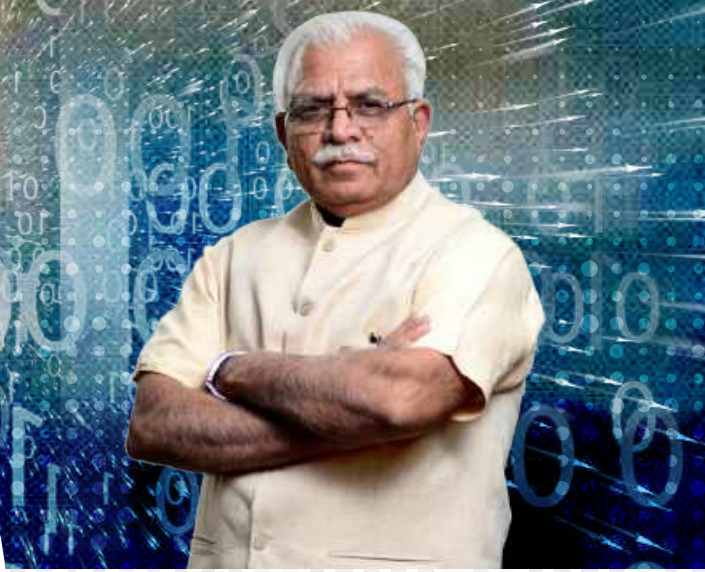

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू

- 'शिल्पकार प्रशिक्षण योजना' के तहत सत्र 2021-22 के दौरान सिकरोना (फरीदाबाद), इन्द्री (करनाल) और जीवन नगर (सिरसा) में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किए जाएंगे।
- वर्ष 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के कम से कम 50,000 युवाओं को नौकरियां दिलाने का लक्ष्य।
- निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु गहन सोच, कार्यस्थल की तत्परता, संचार और सी वी बनाने तथा साक्षात्कार की तैयारी में सहायता जैसे रोजगार कौशलों पर 1.5 लाख सक्षम युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण।

प्रौद्योगिकी एवं शासन

GOVERNMENT
OF HARYANA

प्रौद्योगिकी एवं शासन

- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति वाले परिवारों में से 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के एक लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा।
- युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 7 राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे नए इनक्यूबेटर सेंटर।
- बड़े डेटा सेंटर उद्योग के निर्माण एवं विकास पर बल देने के लिए बनेगी डेटा सेंटर नीति।
- बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों सहित सभी सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया जाएगा।

राजस्व, संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

GOVERNMENT
OF HARYANA

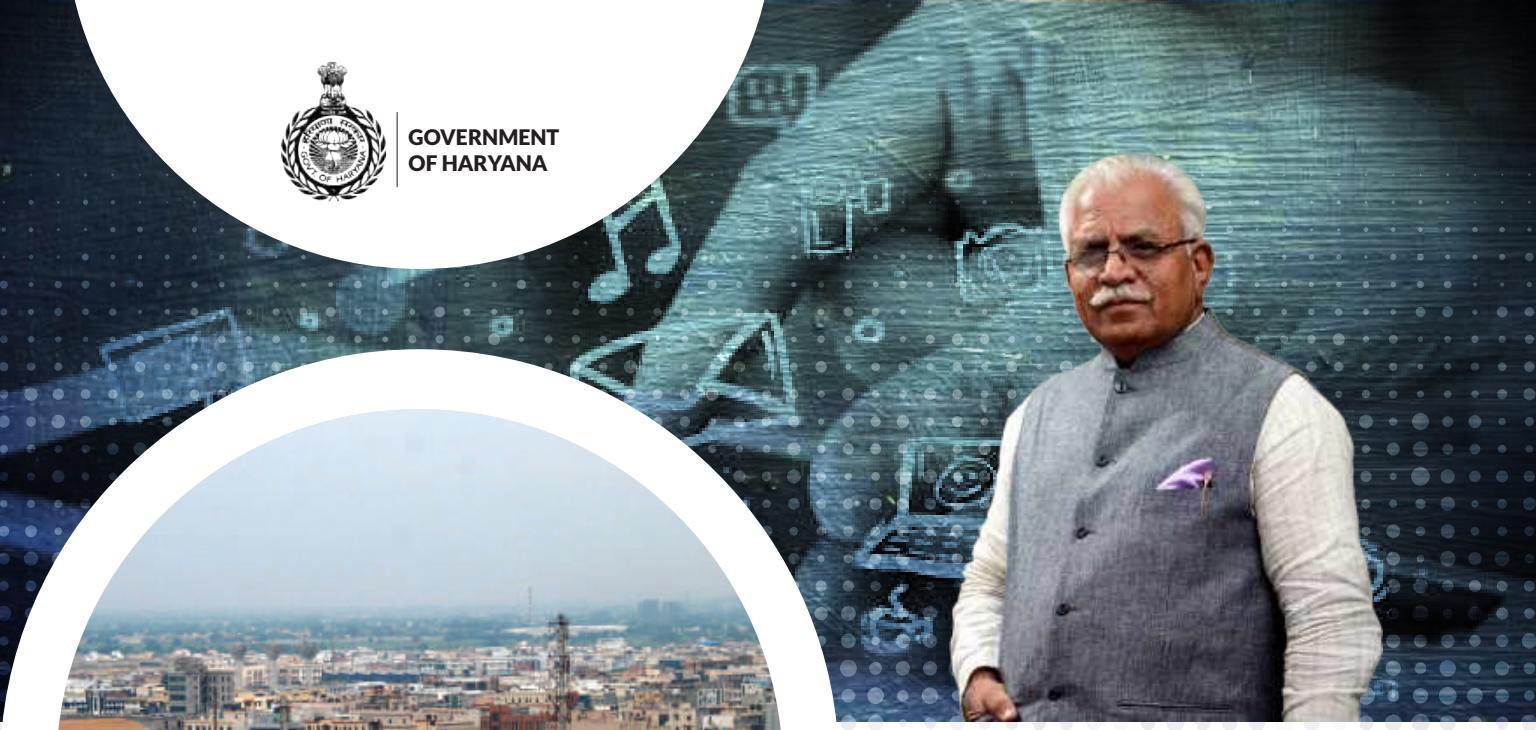

राजस्व, संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

हरियाणा की योजना से प्रेरित होकर केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को 'स्वामित्व' नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना का प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा शुभारम्भ किया गया। 25 दिसंबर, 2020 को 22 जिलों के 302 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया, जिसमें 40,250 स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज उनके मालिकों को दिए गए।

GOVERNMENT
OF HARYANA

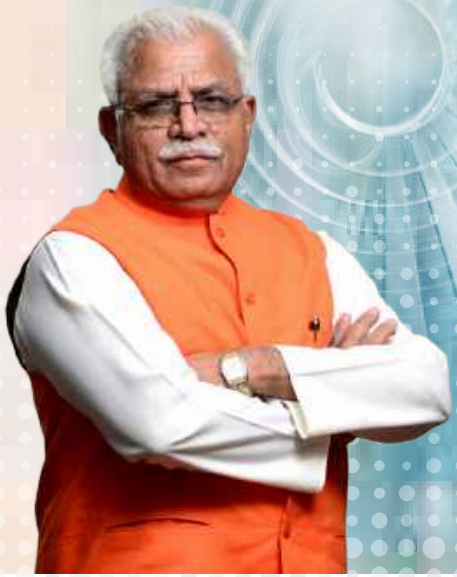

राजस्व, संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

- वर्ष 2021-22 के दौरान आर ई आई टी से 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य।
- रबी, 2020 के दौरान ओलावृष्टि के कारण जिला भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और चरखी दादरी में जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी, उन्हें मुआवजा देने के लिए 115.18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

GOVERNMENT
OF HARYANA

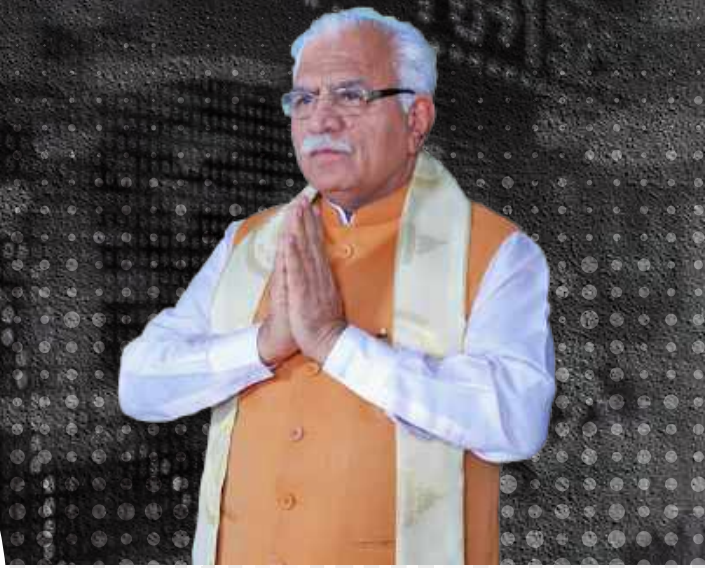

राजस्व, संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

- हरियाणा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.4 प्रतिशत से भी कम है लेकिन राज्य देश के कुल जीएसटी संग्रहण में 4.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
- जनता पर बोझ डाले बिना अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु दो नई अवधारणाएं शुरू की जाएंगी जिनमें - रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आर ई आई टी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्विट) शामिल हैं।

ईज ऑफ लिविंग

GOVERNMENT
OF HARYANA

ईज ऑफ लिविंग

- किफायती आवास श्रेणी के तहत हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 20,000 मकान बनाने की योजना।
- BS-VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 800 मानक गैर-एसी बसों और 124 पूर्णतया इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
- छह निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे।
- सेबी आर ई आई टी विनियम, 2014 के तहत आर ई आई टी के रूप में इसकी किराए पर दी जाने वाली चिह्नित परिसंपत्तियों और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के साथ पूल करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

GOVERNMENT
OF HARYANA

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए पालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2 प्रतिशत समान अनुपात में संबद्ध पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के खातों में सीधा जमा करवाया जाएगा।
- छोटे दुकानदारों और दूसरे पट्टेदारों को स्वामित्व देने के लिए पट्टे पर दी गई दुकानों और दूसरी परिसंपत्तियां, जो 20 वर्ष या इससे अधिक समय से पट्टेदार के स्वामित्व में है, की बिक्री के लिए एक नीति बनाई जाएगी।
- पंचकूला, हिसार को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।
- दिव्य कुरुक्षेत्र योजना से पूरे कुरुक्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जायेगा।

GOVERNMENT
OF HARYANA

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- 23 स्थानों पर बड़े पैमाने पर नगरपालिका कचरे के विशाल डंपिग के कारण बेकार पड़ी बहुमूल्य भूमि के पुन सुधार के लिए कदम उठाए हैं।
- 135 सेवाएं सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे नागरिक अपने घर द्वार पर ही समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ उठा रहे है।
- संपत्ति कर वसूली को सुचारू बनाने के लिए केंद्रीकृत जीआईएस आधारित संपत्ति कर शुरू किया गया है, जिसके तहत सटीक आयामों के लिए हाई रिजॉल्यूशन इमेज के साथ प्रत्येक संपत्ति को यूनीक संपत्ति आईड़ी प्रदान की जाएगी।

GOVERNMENT
OF HARYANA

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- ग्रामविकास में तेजी लाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है, जिसका लाभ लेकर आम आदमी अपने विकास कार्य करवा पायेगा।
- पीआरआई को विभिन्न शक्ति यां प्रदान कर के उनके राजस्व के स्व - संसाधनों को बढ़ाया है। 24 फरवरी 2021 से ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार भी लगाया गया है।
- जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को लगभग 400 करोड़ रूपये वार्षिक मिलेंगे ।
- 28 फरवरी 2021 से बिजली की खपत पर दो प्रतिशत पंचायत कर लगाया गया है और इससे ग्राम पंचायतों को लगभग 100 करोड़ रूपये वार्षिक मिलेंगे।

वन एवं पर्यावरण

GOVERNMENT
OF HARYANA

वन एवं पर्यावरण

- पंतजली योग पीठ के तकनीकी सहयोग से मोरनी की पहाडियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है, जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक बड़ा कोष बन जायेगा।
- तीन नये हर्बल पार्क मसूदपुर, खेड़ी लोहचब और धर्म खेड़ी में बनाए जा रहे है।
- शिवालिक और आरावली पहाडियों में नई जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- बच्चों को पेड़ लगाने, बचाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करके पौधागिरी अभियान को बढ़ावा दिया जायेगा।

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

GOVERNMENT
OF HARYANA

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

- वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के तहत 973 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण और 6213 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया जाएगा।
- वर्ष 2022-23 तक, 6 करम या उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़कें बनाई जाएगी।
- सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए 1007.19 करोड़ रुपये की लागत से 11 बाईपास के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
- उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास का निर्माण किया जाएगा।

GOVERNMENT
OF HARYANA

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

- वर्ष 2021-22 में 20 आर ओ बी/आर यू बी का निर्माण किया जाएगा।
- पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी सड़क को चार मार्गीय बनाया जाएगा।
- सभी हवाई पट्टियों की लंबाई 5000 फुट तक बढ़ाई जाएंगी।
- भिवानी में पीपीपी मोड पर अन्य फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा।
- चार हवाई अड्डों हिसार, पिंजौर, करनाल और नारनौल में नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

GOVERNMENT
OF HARYANA

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

- 11 नए सब-स्टेशन का निर्माण करने, 106 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और 1057 सर्किट किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना।
- 'मनोहर ज्योति' योजना के तहत 20,000 परिवारों को एस पी वी होम लाइटिंग सिस्टम दिये जाएंगे।
- 3 एचपी से लेकर 10 एचपी क्षमता के 35,000 ऑफग्रिड सौर पंप स्थापित किए जाएंगे।
- गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।

GOVERNMENT
OF HARYANA

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

- हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अपनी भूमि पर 77 मैगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और पंचायत भूमि पर 16 मैगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
- 49,500 सोलर इन्वर्टर चार्जर्स दिए जाएंगे।
- गांवों में 12,000 उच्च प्रकाश वाली सोलर एल ई डी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
- 103 मैगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य।
- नई 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति- 2020' लागू।

GOVERNMENT
OF HARYANA

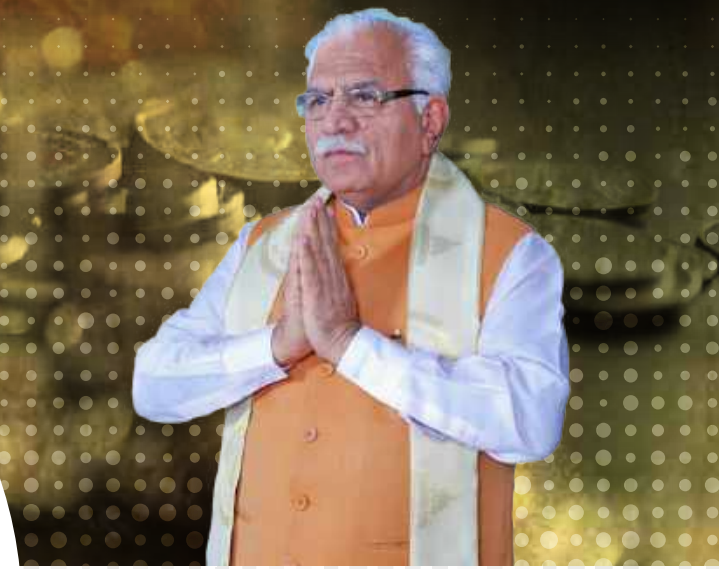

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

- एक लाख करोड़ रुपये का निवेश और 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य।
- कारोबार करने की लागत को कम करने हेतु औद्योगिक भू-खंडों को पट्टे पर देने की नीति।
- मानेसर के निकट 2500 करोड़ रुपये के निवेश से 1000 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल सिटी के विकास की योजना। इससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- MSME को वित्तिय सहायता के लिये हरियाणा MSME पुनरुद्धार ब्याज लाभ योजना ।

सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

GOVERNMENT
OF HARYANA

सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

- पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य।
- सुरक्षा के लिए तात्कालिक समेकित आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए 112/आपात अनुक्रिया सहायता प्रणाली परियोजना शुरू की जाएगी।
- गुरुग्राम में एक महिला आई आर बी बटालियन और हिसार में महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सात जिलों में बनेगे समेकित सैनिक सदन।

GT
%
x
÷
=
+
6
3
00
0
94,248
23,183
1999
95,793
72,610
303,902
235,504
232,863
71,039
170,203

74,969
23,806
SELF-EMPLOYED
254,509
246,292
S.E.O.

सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

बदलता हरियाणा आगे बढ़ता हरियाणा

संवाद SAMVAD